पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान पंचायत समिति भटियात में निम्नलिखित अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री मान सिंह	01-04-2022 से 30-06-2022 तक
2.	श्री सुभाष अत्तरी	30-06-2022 से 20-05-2023 तक
3.	श्री मुनीश कुमार	23-05-2023 से 31-03-2024 तक

2. अध्यक्ष

क्रम. संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनीता देवी	01-04-2022 से 31-03-2024 तक

3. सचिव

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री प्रिथी चंद	01-04-2022 से 31-03-2024 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा संख्या**	**राशि (₹ लाखों में)**
01.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर बारे।	4.2	₹37.14
02.	15वें वित्तायोग की रोकड़बही में व्यय वाउचरों का संदिग्ध व अनियमित समायोजन करने बारे।	4.5	₹15.73
03.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनुचित क्रय/भुगतान करने बारे।	8.2	₹3.28
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.3	₹0.13
05.	पंचायत समिति निधि से पंचायत सचिवों व तकनिकी सहायकों को वेतन व NPS शेयर का संदिग्ध व अनियमित भुगतान बारे।	9.1	₹46.88
06.	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिलों का अनियमित भुगतान करने बारे	9.3	₹10.55
07.	15वें वित्तायोग से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।	9.5	₹143.96

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

पंचायत समिति भटियात को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 19-09-2024 द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अनुरोध के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अनिर्णीत पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	4.3	अनिर्णीत	-
2.	5	अनिर्णीत	-
3.	8	अनिर्णीत	-
4.	9 (क)	अनिर्णीत	-
5.	9 (ख)	अनिर्णीत	-
6.	10	अनिर्णीत	-
7.	11	अनिर्णीत	-
8.	12	अनिर्णीत	-
9.	13	अनिर्णीत	-

2. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-

2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.1	अनिर्णीत	-
4.	5	अनिर्णीत	-
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
7.	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
8.	9	अनिर्णीत	-
9.	10	अनिर्णीत	-
10.	10.1	अनिर्णीत	-
11.	11	अनिर्णीत	-
12.	12	अनिर्णीत	-
13.	13	अनिर्णीत	-
14.	14	अनिर्णीत	-
15.	15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19-09-2024 से 25-09-2024 तक पंचायत समिति भटियात के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	01/2023	03/2023
2.	2023-2024	04/2023	08/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया। उक्त संस्थान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के

अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/15 दिनांक 25-09-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति भटियात, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान पंचायत समिति भटियात, के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व-स्त्रोत व अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति		कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
		स्व-स्त्रोत	अनुदान			
2022-23	10875166.00	12500.00	22088376.00	32976042.00	21945189.00	11030853.00
2023-24	11030853.00	56800.00	2795641.00	13883294.00	11941207.00	1942087.00

2. 5वां वित्तायोग (पंचायत समिति प्रतिनिधियों का मानदेय)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	0.00	1537500.00	1537500.00	1537500.00	0.00
2023-24	0.00	2169000.00	2169000.00	2169000.00	0.00

नोट : उक्त मानदेय को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया है। पैरा संख्या 4.4 में पूर्ण विवरण दिया गया है।

कुल योग (1+2) ₹1942087.00 + ₹0.00 = ₹1942087.00

(ब) पंचायत समिति भटियात का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	50100358140346	HDFC Chuwari	**1023010.00**
2.	BRGF	263001000142	ICICI Bank Banikhet	**0.00**
3.	13^{th} FC	99288100023059	HPGB Chuwari	**51656.33**
4.	General, DPO & Own Source	18010107295	HPSCB Chuwari	**0.00**
5.		50100523403124	HDFC Chuwari	**4581015.00**
			Cash In hand	**0.00**
			TOTAL	**₹5655681.33**

अन्तर (ब-अ) ₹5655681.33 - ₹1942087.00 - .00 = ₹3713594.33

4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹37.14 लाख का भारी अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति भटियात, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹3713594.33 का भारी अन्तर रोकड़बहियों में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

उक्त भारी अंतर की बैंक समाधान विवरणियां अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की, इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं गत तथा वर्तमान अंतर का शीघ्र मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार-बार आपत्ति उठाने उपरान्त भी बैंक समाधान विवरणियां का तैयार न किया जाना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है इससे न केवल लेखों के रख-रखाव अपितु किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है अत: यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई व सूचनार्थ लाया जाता है। उक्त अनियमितता के संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

4.3 पंचायत समिति के समस्त लेखों का रख-रखाव ऑनलाइन प्रणाली (e-gram swaraaj/ Priya Soft.) में न किये जाने बारे :-

निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 तक ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

पंचायत समिति भटियात के अंकेक्षण दौरान समिति द्वारा केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़बही का संधारण ही ऑनलाइन माध्यम से किया गया था अन्य अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण केवल मेनुअल माध्यम से ही किया गया था जोकि उक्त आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में अन्य अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का ऑनलाइन किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त अनियमितता को नियमानुसार न्यायोचित ठहराये जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.4 पंचायत समिति के प्रतिनिधियों के मानदेय का आय-व्यय विवरण गत वित्तीय विवरणों में सम्मिलित न करने बारे :-

पंचायत समिति के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा पंचायत समिति के प्रतिनिधियों के मानदेय को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था जिससे कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इसे नहीं दर्शाया गया लेकिन वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इसे वित्तीय विवरणों में लिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा सूचित किया कि, मानदेय का लेखा जोखा वेतन रोकड़बही के साथ किया जाने के कारण इसे पंचायत समिति के आय-व्यय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया लेकिन इसकी पृथक रोकड़बही संधारित कर ली जाएगी। उक्त मामले में मानदेय के आय-व्यय विवरण से सम्बधित रोकड़बही व मानदेय रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सके अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.5 15वें वित्तायोग की रोकड़बही में राशि ₹15.73 लाख के व्यय वाउचरों का संदिग्ध व अनियमित समायोजन करने बारे :-

पंचायत समिति भटियात द्वारा 15वें वित्तायोग की e-gram swaraaj में संधारित ऑनलाइन रोकड़बही के अवलोकन में पाया गया कि, रोकड़बही के व्यय पक्ष में निम्न विवरणानुसार राशि ₹1572645 का व्यय रोकड़बही के व्यय शीर्षक "Bank Charges" के अंतर्गत दर्ज किया गया था। लेकिन इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर व अन्य समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में उक्त व्यय की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Sr.	Voucher No./ Date	Amount	Payment Classification	Particulars
1.	XVFC/2022-23/P/1 30-04-2022	29916	Scheme-XVFC 2049-103-53 Bank Charges	Being Adjustment
2.	XVFC/2022-23/P/10 31-07-2023	158520	Scheme-XVFC 2049-103-53 Bank Charges	Being Amount Adjusted
3.	XVFC/2022-23/P/49 31-08-2023	64125	Scheme-XVFC 2049-103-53 Bank Charges	Being Bank Commission
4.	XVFC/2022-23/P/55 30-09-2023	274326	Scheme-XVFC 2049-103-53 Bank Charges	Being Misc. Charges
5.	XVFC/2022-23/P/57 31-03-2024	1045758	Scheme-XVFC 2049-103-30 Bank Charges	Being Voucher Adjusted
	TOTAL	**₹1572645**		

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 24-09-2024 द्वारा इस सन्दर्भ में वांछित अभिलेखों सहित पक्ष रखने के अनुरोध के प्रत्युत्तर में बताया कि, उक्त समायोजित वाउचरों के सन्दर्भ में समिति स्तर पर छानबीन उपरान्त कृत्त कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को सूचित कर दिया जायेगा।

चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि, उक्त व्यय वाउचरों का रोकड़बही में समायोजन किया गया है लेकिन यह व्यय वाउचर किस अवधि तथा किस सेवा/सामान की आपूर्ति हेतु मूलतः प्रभारित थे ? उनका कोई भी विवरण न पाया जाना तथा रोकड़बही में Bank Charges शीर्ष से दर्ज किया जाना संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है इसमें किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: उक्त गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई व सूचनार्थ लाया जाता है। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में अपना पक्ष नियमानुसार शीघ्र ही वांछित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराते हुए लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.1 निवेश:- पंचायत समिति भटियात द्वारा बताया गया कि, पंचायत समिति भटियात द्वारा सावधि जमा अथवा अन्य निवेश बचत योजनाओं में कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹19.42 लाख का अवरोधन :-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान (स्व:-स्त्रोत) से प्राप्त राशियों में से ₹1942087 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था।

जबकि समिति द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर

व्यय किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹1.94 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 33** में प्रावधान है कि, पंचायत समिति का सचिव देखेगा कि, समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित समिति के खातों में जमा करवाया गया है।

पंचायत समिति भटियात के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा आठ दुकानें किराये पर दी थी। इनमें अधिकतर दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्न विवरणानुसार कुल राशि ₹194300/- वसूली हेतु शेष है। इसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है।

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /दुकान	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया
2022-2023	161700	08	700/ 500	52800	214500	12000	202500
2023-2024	202500	08	700/ 500	52800	255300	61000	194300

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 25-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, दुकानों के किराये की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर समिति द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः दुकान किराया की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

पंचायत समिति भटियात द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार समिति के पास कुल आठ दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आवंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई है।

1. अधिकतर दुकानों का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे कि बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. किराये का निर्धारण,बढोतरी इत्यादि नियमानुसार नहीं किया गया है एवं किरायेदारों के साथ किये गए अनुबंधों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पंचायत समिति की सम्पत्ति (दुकानों) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 25-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, किराये पर आवंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। इससे राजस्व का गैर संग्रहण/हानि होने के साथ-साथ किसी वैधानिक कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद,

भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति भटियात के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 ठेकेदारों/वेंडरों से बिना W,X फॉर्म प्राप्त किये, राशि ₹3.28 लाख का अनियमित क्रय/भुगतान बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या--2023/204192/1-General/2023-DB-(RD&PR)-XEN 30-34307 दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

पंचायत समिति भटियात के नमूना अंकेक्षण दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि, समिति के अंतर्गत करवाए गए कार्यों हेतु खपत/प्रयुक्त संलग्न परिशिष्ट "3" के अनुसार राशि ₹328645 की खनन सामग्री यथा रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के आपूर्ति/क्रय की एवज में आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया गया जोकि उक्त सरकारी व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि,पंचायत समिति

भटियात द्वारा W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही विकास कार्यों (में खपत सामग्री) की अदायगी की गई है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत समिति में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री का भुगतान बिना W, X फॉर्म प्राप्त किया बिना ही किया जा रहा है। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉल्यटी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.13 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

पंचायत समिति भटियात, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹650875/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹13017.50/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती नहीं की जा रही है लेकिन शीघ्र ही इसकी कटौती करके कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत समिति द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

पंचायत समिति भटियात की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Sr.No/Head	Work Detail	Sanction Amount	Documents not Produced
1. P.S./DPO	C/o Tile work in Panchayat Smiti/Block Office Complex	500000	MB, Estimate Work Order and Technical sanction order ,Form 13C In Format-34.etc
2.P.S./DPO	C/o Painting of laying tile around P.S. Hall	200000	
	TOTAL	**₹700000**	

इस सन्दर्भ में बार-बार मौखिक आग्रह एवं अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो से सम्बंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने हेतु कनिष्ट अभियंता को कई बार सूचित किया परन्तु उन्होंने उक्त कार्यों से सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.1 पंचायत समिति निधि से पंचायत सचिवों व तकनीकी सहायकों को वेतन व NPS शेयर के तौर पर राशि ₹46.88 लाख का संदिग्ध व अनियमित भुगतान बारे :-

पंचायत समिति की सामान्य रोकड़बही के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत समिति फंड से निम्न विवरणानुसार राशि ₹4688431 का भुगतान पंचायत सचिवों व तकनीकी सहायकों के वेतन व NPS शेयर के तौर पर किया गया जोकि उक्त सामान्य निधि खाते पर वैध प्रभार प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 24-09-2024 द्वारा इस सन्दर्भ में वांछित अभिलेखों सहित पक्ष रखने के अनुरोध के प्रत्युत्तर में बताया गया कि, पंचायत समिति के खाते से वेतन व NPS शेयर इत्यादि की समिति स्तर पर छानवीन उपरान्त कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को सूचित कर दिया जायेगा।

Sr. No.	Voucher No. & Date	Payment Detail	Amount	CBP Page
1.	08/ 02-08-2022	Paid Salary to Technical Assistant of ZP cadre for the month 07/2022	546985	41
2.	09/ 02-08-2022	Paid NPS Share for of Panchayat Secretary and Technical Assistant for the month 07/2022	684023	41
3.	12/ 21-09-2022	Paid Salary Arrears to Sh. Ranjeet Singh Panchayat Secretary of ZP Cadre	10686	43
4.	15/ 02-11-2022	Paid Salary to Technical Assistant of ZP cadre for the month 10/2022	562253	44
5.	55/ 31-03-2023	Paid NPS Share for of Panchayat Secretary and Technical Assistant for the month 08/2022	2884484	60
		TOTAL	**4688431**	

प्रस्तुत उत्तर व उक्त तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत समिति के सामान्य/निधि खाते से कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर किया गया व्यय वैध प्रभार नहीं है तथा इसका भुगतान सैलरी खाते से किया जाना अपेक्षित था। चूँकि उक्त भुगतान के सम्बन्ध में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति तथा भुगतान के लगभग दो वर्षों के उपरान्त भी उक्त भारी व्यय की पुनर्प्राप्ति न किया जाना संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है तथा इसमें दोहरे भुगतान/वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर लाया जाता है। उक्त व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹9.92 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान:-

पंचायत समिति भटियात के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार राशि ₹991531 का भुगतान रेत, बजरी,पत्थर, टाइल्स लेबर व अन्य सामग्री के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल कम्पुटर जनरेटेड/प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर Cash मैमों व परफ़ोर्मा बिल ही हैं। जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त प्रॉपर/टैक्स बिल न होने के अभाव में यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन पर नियमानुसार अपेक्षित कर कटौती उपरान्त इसे सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समिति द्वारा GST सहित भुगतान भी किया गया है इस मामले की समिति स्तर पर छानबीन उपरान्त कृत कर्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर

संतोषजनक नहीं है। बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के भुगतान करना संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹10.55 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा कोई भी भुगतान पंचायत समिति के अध्यक्ष व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी धारित करने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1054541/- का भुगतान किया गया परन्तु इन बिलों पर पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं है तथा इनका भुगतान केवल विकास खंड अधिकारी/सीईओ के एकल हस्ताक्षर से ही कर दिया गया है जोकि उक्त वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव ने कहा कि, पंचायत समिति के बिलों पर केवल विकास खंड अधिकारी/सीईओ द्वारा ही हस्ताक्षर किये गए हैं चूँकि चेयरमैन के कार्यालय में उपस्थित न होने के कारण एकल हस्ताक्षर से ही भुगतान किया गया है लेकिन भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹3.33 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने

की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत समिति के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹333205/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इससे पंचायत समिति को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

Sr.No. Head	**Vr. No./ Date**	**Material**	**Qty./ rate**	**Supplier Detail**	**Amount**	**Remarks**
1.P.S/ DPO	50/ 27-03-23	Paver blocks 40 MM	166.87sft @377.59	M/S Ashok Panjela Tiles Nurpur, Kangra	63010	**Quotations**
2.P.S./ DPO	02 & 03/ 23-04-22	P/F Angle & CGI Sheets In roof	-	M/S Maynak Mahajan Chuwari, Chamba	270195	**Quotations**
				Total	**333205**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 24-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 15वें वित्तायोग से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित राशि ₹143.96 लाख के उपियोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदत सहायता

अनुदान के उपियोगिता प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करते हुए कि,पंचायत द्वारा अनुदान उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह मंजूर किये गये है अनुदान प्रदत संस्थान को प्रेषित किये जाने अपेक्षित हैं।

पंचायत समिति के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा 15वें वित्तायोग से ग्राम पंचायतों को विकास/निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹14395750 का हस्तांतरण किया गया था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान उक्त दर्शाई गये सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-13 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि,15वें वित्तायोग के अंतर्गत कोई भी कार्य समिति द्वारा अपने स्तर पर नहीं करवाया गया है अपितु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि का हस्तांतरण किया गया है अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी अनुदानों के उपियोगिता प्रमाण पत्र अभी तक समिति कार्यलय में नहीं पहुंचे जिस कारण इने अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

प्रस्तुत उत्तर व तथ्यों के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि समिति द्वारा समय पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से उपियोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये और न ही यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि, ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान उस प्रयोजन के लिये, जिसके लिये यह मंजूर किये गये है उसी प्रयोजन हेतु तय शर्तों अनुसार व समय में व्यय किया गये हैं अथवा नहीं ? अत: समिति द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को जारी अनुदानों के उपियोगता प्रमाण पत्रों को शीघ्र प्राप्त किए जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 राशि ₹3.58 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत समिति के चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार राशि ₹358010/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

1. मस्टरोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।

2. अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को सत्यापित न करना।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, अदायगी आदेश दिनांक ,कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि, मस्टरोल में कार्यरत मजदूरों के हस्ताक्षर, इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

S.N./Head	Work Detail	Mustrol no	Vr/Date	Amount
1.P.S.	C/o Vehicle parking facilities in P.S.Campus Office	257	52/ 31-03-2023	64076
2.P.S.	C/o Completion of record room	258	53/ 31-03-2023	33976
3. P.S.	C/o Tile work in Panchayat Smiti/Block Office Complex	259	54/ 31-03-2023	143402
4.P.S.	C/o Tile work in P.S./Block office Complex	265	05/ 11-04-2023	33950
5.P.S.	C/o Painting of laying tile around P.S. Hall	261	05/ 11-04-2023	82606
			Total	**₹358010**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 24-09-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा कृत कार्रवाई से सूचित कर दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु स्टॉक रजिस्टर/रजिस्टरों का रख-रखाव न करने

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति उपरान्त उसकी स्टॉक रजिस्टर में तुरंत इन्द्राज एवं नियम 72 के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु भार-साधक अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव निर्धारित प्रारूपों (क से घ) में किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के लेखों के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा समय-समय पर जो स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था उसे इन्द्राज करने हेतु कोई

भी स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था। जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी नकारा जा सकता है।

इस अनियमितिता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 24-09-2024 द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक को इन्द्राज नहीं किया जा रहा है निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का लेखा जोखा सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता द्वारा रखा जाता है लेकिन अंकेक्षण दौरान उनके द्वारा यह उपलब्ध नहीं करवाया गया। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: क्रय स्टॉक/स्टॉक का समिति में लेखा जोखा न रखा जाना आपत्तिजनक व संदिग्ध है। अत: मामले में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 रोकड़बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति भटियात, के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अंकेक्षण में केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़बही का संधारण ही ऑनलाइन किया गया था इसके अतिरिक्त अन्य अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों को मैन्युअल ही किया जा रहा है। जबकि विभाग के दिशानिर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ अथशेष व अन्तशेष भी गलत उठाये गए थे। उदाहरण- समिति की सामान्य रोकड़बही में अप्रैल 2023 में राशि 378716 का अथशेष कम उठाया गया था। जोकि संदिग्ध व अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति में रोकड़बही और बैंक पासबुक का मिलान (BRS) नहीं किया जा रहा जोकि जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए आय-विवरण को भी सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही,

बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत समिति द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन एवं वित्तीय हानि की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा कहा गया कि पंचायत समिति द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से ही किया जा रहा है भविष्य में इनका संधारण e-ग्राम स्वराज में किया जायेगा तथा रोकड़बही में पाई गई त्रुटियों को भविष्य में दुरस्त कर लिया जायेगा । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये

10.3 पंचायत समिति के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

पंचायत समिति भटियात के नमूना अंकेक्षण में पंचायत समिति द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, समिति के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 द्वारा समिति सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है । इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे DPO 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 21-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का नियमानुसार अनुरक्षण न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या-01A दिनांक 19-09-2024 के प्रत्युत्तर में समिति सचिव द्वारा कहा गया कि, निम्नतालिका अनुसार सूचित किया कि अधिकतर रजिस्टर संधारित नहीं है एवं अन्य जो संधारित थे उने अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कि निम्न वांछित अभिलेखों में अभाव में समिति के रजिस्टरों का सत्यापन लेखा परीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	प्रस्तुत नहीं
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं

4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	प्रस्तुत नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	पंचायत समिति का स्टोक रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	मानदेय रजिस्टर			संधारित नहीं

अत: पंचायत समिति में उक्त अभिलेखों/रजिस्टरों का संधारण न किया जाना नियमानुसार अनियमित व आपत्तिजनक है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत समिति भटियात, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 24-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत समिति में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन

नहीं करवाया जा रहा है। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत समिति के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

5540-5543 का0/50 19 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (7) 38/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का0/50

(कृष्ण लाल नेगी) 19.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of Panchayat Smiti Bhatiyat for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source & Grant in Aid Financial Postion

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT OWN SOURCE	RECEIPT GRANT IN AID	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	10875166.00	12500.00	22088376.00	32976042.00	21945189.00	11030853.00
2023-24	11030853.00	56800.00	2795641.00	13883294.00	11941207.00	1942087.00

2. 5th SFC (Honorarium of P.S.)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE		RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	0.00		1537500.00	1537500.00	1537500.00	0.00
2023-24	0.00		2169000.00	2169000.00	2169000.00	0.00

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत समिति भटियात में उपरोक्त विवरण अनुसार कुल चार रोकड़बहियों का संधारण किया जा रहा है एवं वर्तमान में 5th FC की आय व्यय विवरण को भी शामिल किया गया है जोकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में नहीं लिया गया था I

(1+2)	Closing balance as per Cash Book as on 31-03-2024 (1942087+0)	1942087.00
	Closing balance as per Bank Passbooks(detail enclosed) as on 31-03-2024	5655681.33
	Net Difference (Less in Cash book)	-3713594.33

Secretary
Panchayat Samiti Bhattiyat
District Chamba (H.P)

		परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित					
Financial Position Grants in Aids & Own Source of Panchayat Smiti Bhatiyat for the Year to 2022-23 To 2023-24							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	BRGF	2022-23	302027.00	10675.00	312702.00	481739.00	-169037.00
		2023-24	-169037.00	0.00	-169037.00	0.00	-169037.00
2	15TH FC	2022-23	6249300.00	13368211.00	19617511.00	11762561.00	7854950.00
		2023-24	7854950.00	1624664.00	9479614.00	8395251.00	1084363.00
3	13TH FC	2022-23	2195078.00	44979.00	2240057.00	1525278.00	714779.00
		2023-24	714779.00	4355.00	719134.00	680896.00	38238.00
4	GENERAL DPO/PS/ OWN SOURCES	2022-23	2128761.00	8677011.00	10805772.00	8175611.00	2630161.00
		2023-24	2630161.00	1223422.00	3853583.00	2865060.00	988523.00
		2022-23	10875166.00	22100876.00	32976042.00	21945189.00	11030853.00
		2023-24	11030853.00	2852441.00	13883294.00	11941207.00	1942087.00

Secretary
Panchayat Samiti Bhattiyat
District Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "3" पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O PANCHAYAT SMITI BHATTIYAT DISTT. CHMABA TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT W, X FORM W.E.F. 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	03/	Stone	7.50	16.80	12000.00
	VPO Chuwari , Chamba		11-04-2023	Aggre.	10.00	19.40	21500.00
2	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	04/	Aggre.	2.00	3.88	4300.00
	VPO Chuwari , Chamba		11-04-2023				
3	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	05/	Aggre.	6.18	11.99	13287.00
	VPO Chuwari , Chamba		11-04-2023	Sand	30.78	49.25	69255.00
4	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	14/	Sand	0.95	1.52	2137.50
	VPO Chuwari , Chamba		15-06-2023	Aggre.	1.80	3.49	3870.00
5	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	36/	Sand	3.35	5.36	7545.00
	VPO Chuwari , Chamba		18-11-2023	Aggre.	0.39	0.76	836.00
6	M/S Nitika Enterprises	PS/DPO	56/	Sand	12	19.20	27000
	VPO Chuwari , Chamba		05-03-2024	Aggre.	5	9.70	10750
						TOTAL	172481

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 9.2 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o PS Bhattiyat, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Remarks
1	01/23-04-2022	13TH FC	M/S Dhiaman Furniture House , Chamba	Providing & Fixing of laminated door with frame	220000.00	Performa bill
2	02 & 03/23-04-2022	13TH FC	M/S Maynak Mahajan, Chuwari Chamba	Providing & Fixing of Angle & CGI Sheets in roof	270195.00	Cash Memo
3	03/11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand, Stone, agg & Steel etc.	70265.00	Performa bill
4	04/11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand, Stone, agg & Steel etc.	85809.00	Do
5	05/11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand & Agg	114920.00	Do
6	05/11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Tanishka Tile Industry, Nurpur	Interlock Tiles 60mm	230342.00	Do
				Total	991531.00	

परिशिष्ट "5" पैरा संख्या 8.3 में संदर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Panchayat Smiti Bhatiyat, Chamba H.P.							
SR. NO	**VOUCHER NO./DATE**	**NAME OF FUND**	**PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY**	**DISCRIPTION OF ITEM**	**AMOUNT**	**TDS @2 %**	**Applicable act & Section**
1	18/18-11-2022	P.S./DPO	M/S Rattan Chand & Sons Chuwari, Chamba	Refreshment Catering	160680.00	3213.60	IT Act Section 194C
2	02 & 03/ 23-04-2022	13TH FC	M/S Maynak Mahajan, Chuwari Chamba	Providing & Fixing of Angle & CGI Sheets in roof with Labour	270195.00	5403.90	IT Act Section 194C
3	01/23-04-2022	13TH FC	M/S Dhiaman Furniture House , Chamba	Providing & Fixing of laminated door & frame With Labour	220000.00	4400.00	IT Act Section 194C
				TOTAL	650875.00	13017.50	Plus Eduction Cess

Remarks : As in Sr. no. 2 & 3 work executed by contractor with Labour & Materail but no separate amount shown of labour & Materail

Secretary
Panchayat Samiti Bhattiyat
District Chamba (H.P)

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

Statement Showing Detail of Payment Withou Joint Sign. & No stock Entry in r/o PS Bhattiyat, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	01/ 23-04-2022	13TH FC	M/S Dhiaman Furniture House, Chamba	Providing & Fixing of laminated door with frame	220000.00
2	02 & 03/ 23-04-2022	13TH FC	M/S Maynak Mahajan, Chuwari Chamba	Providing & Fixing of Angle & CGI Sheets in roof	270195.00
3	03/ 11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand, Stone, agg & Steel etc.	70265.00
4	04/ 11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand, Stone, agg & Steel etc.	85809.00
5	05/ 11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Nitika Enterprises, Chuwari, Chamba	Sand & Agg	114920.00
6	05 (ii)/ 11-04-2023	P.S. /DPO	M/S Tanishka Tile Industry, Nurpur	Interlock Tiles 60mm	230342.00
7	50/ 27-03-2023	P.S. /DPO	M/S Ashok Panjela Tiles Nurpur, Kangra	Interlock Tiles 60mm	63010.00
				Total	1054541.00

Secretary
Panchayat Samiti Bhattiyat
District Chamba (H.P.)

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 7.1 में सन्दर्भित

No. 3669

Office of the Block Development Officer
Bhattiyat at Chowari Distt Chamba (HP)

To,

The Auditor,
H.P State Audit Department Shimla-09
Audit Circle Chamba (H.P)

Dated :- Chowari, 24/9/2024

Subject:- Audit of Panchayat Samiti Bhattiyat w.e.f. 01.04.2022 to 31.03.2024.

Sir,

Kindly refer to your office letter no. Audit Requisition No. SAD/CBA/2024/03 Dated 20th September 2024 on the subject cited above, in this connection the prescribed perform is under below:-

Yearly Shop Rent:-

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Rebate	Closing Balance
2022-23	161700	52800	214500	12000	0	202500
2023-24	202500	52800	255300	61000	0	194300

Details of Shop Rent Panchayat Samiti Bhattiyat 2022-23

Sr. No.	Details of tenants	No. of shop	Monthly rent	Previous total	Demand During year	Total Demand	Collection	Outstanding
1.	Kushal Kumar VPO Awan	1	500/-	26000	6000	32000	0	32000
2	Karam Chand , VPO Chowari	2	500/-	70000	6000	76000	0	76000
3.	Parkash Chand, VPO Chowari	3	700/-	21300	8400	29700	0	29700
4	Jai Ram VPO Chowari	4	500/-	0	6000	6000	6000	0
5	Pritam Chand, VPO Chowari	5	500/-	0	6000	6000	6000	0
6	Sanjay Kumar, VPO Chowari	6	500/-	7500	6000	13500	0	13500
7	Chander Kant, VPO Chowari	7	500/-	4000	6000	10000	0	10000
8	Des Raj VPO Banet	8	700/-	32900	8400	41300	0	41300
TOTAL:-				161700	52800	214500	12000	202500

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

Details of Shop rent Panchayat Samiti Bhattiyat 2023-24

Sr. No.	Details of tenants	No. of shop	Monthly rent	Previous Balance	Demand During year	Total Demand	Collection	Outstanding
1.	Kushal Kumar VPO Awan	1	500/-	32000	6000	38000	14250	23750
2	Karam Chand , VPO Chowari	2	500/-	76000	6000	82000	13250	68750
3.	Parkash Chand, VPO Chowari	3	700/-	29700	8400	38100	11500	26600
4	Jai Ram VPO Chowari	4	500/-	0	6000	6000	6000	0
5	Pritam Chand, VPO Chowari	5	500/-	0	6000	6000	6000	0
6	Sanjay Kumar, VPO Chowari	6	500/-	13500	6000	19500	5500	14000
7	Chander Kant, VPO Chowari	7	500/-	10000	6000	16000	4500	11500
8	Des Raj VPO Banet	8	700/-	41300	8400	49700	0	49700
Total:-				202500	52800	255300	61000	194300

Block Development Officer,
Development Block Bhattiyat,
Distt. Chamba (H.P.)